F.7.2.2.STE.14
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक प. 7(2)(3)Stat/Elec./14/ 2205 जयपुर, दिनांक 6/3/14

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :– समस्त निर्वाचन अधिकारी,
(लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) राजस्थान

विषय :– **लोकसभा आम चुनाव 2014 की सांख्यिकी सूचना प्रेषण करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **लोकसभा आम चुनाव 2014** से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सांख्यिकी सूचना निर्धारित समय पर भारत निर्वाचन आयोग, मीडिया एवं राज्य सरकार को समय–समय पर उपलब्ध कराने हेतु **LGE14** के **प्रपत्र संख्या 1 से 12 तैयार** कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं। इन निर्धारित **15** प्रपत्रों की सूचना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर संकलित कर नियत समय सारणी अनुसार निर्वाचन विभाग को **फैक्स/ई–मेल (ceojpr-rj@nic.in)** के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस कार्य हेतु उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को **आंकडा प्रकोष्ठ प्रभारी नियुक्त कर** इस कार्य का उत्तरदायित्व निर्धारण करें ताकि सूचना विधि मान्य एवं एकरूपता लिये हुए हो। **प्रभारी अधिकारी का नाम दूरभाष (कार्यालय एवं निवास) एवं मोबाईल नम्बर भिजवाने का श्रम करें** ताकि अधिकारी द्वारा आवश्यकता होने पर सम्पर्क किया जा सके। इस सम्बन्ध में विभाग में सांख्यिकी सूचना के प्रभारी अधिकारी **श्री गोविन्द शरण खण्डेलवाल, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, निर्वाचन विभाग में नियुक्त है, जिनका दुरभाष नम्बर 0141-2385695 एवं मोबाईल न. 9887459889 हैं, से भी** आवश्यकतानुसार **जानकारी प्राप्त की जा सकती है।**

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के प्रशिक्षण हेतु **दिनांक 11 मार्च, 2014 को प्रातः 11:00 बजे सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हाल में बैठक का आयोजन किया गया है।** अतः प्रकोष्ठ प्रभारी एवं एक सांख्यिकी स्टॉफ को बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न :– प्रपत्र एवं निर्देशों की छाया प्रति

(अशौक जैन)
अति॰ मुख्य सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प. 7(2)(3)Stat/Elec./14/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः जिला कलैक्टर धौलपुर, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ, डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर एवं हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आंकडा प्रकोष्ठ प्रभारी एवं एक सांख्यिकी स्टाफ को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित कर भिजवाने के निर्देश प्रदान करें।

Sd.
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

प्रपत्रों में प्रेषित किये जाने वाली सांख्यिकी सूचना के संबंध में दिशा–निर्देश

1. प्रपत्र **LGE14-1**

यह प्रपत्र नामांकन से संबंधित सूचनाओं का संकलित करने हेतु निर्धारित किया गया है, जिसमें **19.03.14** से **26.03.14** तक प्रतिदिन लोकसभानुसार प्राप्त होने वाले नामांकन पत्रों के आधार पर सूचना प्रतिदिन तैयार की जानी है। संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सांय **3.30** बजे तक आवश्यक रूप से जिला स्तर प्रभारी अधिकारी को सूचना प्रेषित करेंगे जिसके आधार पर सांय **5.00** बजे तक आवश्यक रूप से इस सूचना को संकलित कर इस विभाग को ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना है। इस प्रपत्र के **कॉलम 10** में नामांकन भरने वाले अभ्यर्थी यदि पूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/सांसद/विधायक/जिला प्रमुख अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति आदि हो तो उसका उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे, यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रपत्र में केवल उसी दिन की सूचना प्रेषित की जानी है।

2. प्रपत्र **LGE14-2**

इस प्रपत्र में नामांकन संबंधी संचयी सूचना प्रेषित की जानी है । यह प्रपत्र दिनांक **19.03.14** से **26.03.14** तक प्रतिदिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार प्रेषित की जानी है प्रपत्र के **कॉलम संख्या 3** में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व मे नामाकन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तो अभ्यर्थी की संख्या नही जोडी जानी है। **कॉलम 1 व 2** में पिछले दिवस की सूचना के प्रपत्र के **कॉलम 5 व 6** के समान होनी चाहिए। इस प्रकार दिनांक **26.03.14** के प्रपत्र में लोकसभा के लिए कुल नामांकन अथवा अभ्यर्थियो की संख्या से मिलान होगा।

3. प्रपत्र **LGE14-3**

इस प्रपत्र की सूचना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार दिनांक **27.03.14** को तैयार करवाकर भिजवाई जानी है। इसमें जिस उम्मीदवार के समस्त नांमाकन पत्र निरस्त हो जाते है कि सूचना ही सम्मिलित की जावेगी अर्थात यदि किसी उम्मीदवार का एक भी नांमाकन वैध एंव विधि मान्य रहता है तो उसकी सूचना इस प्रपत्र में सम्मिलित नहीं की जावेगी।

4. प्रपत्र **LGE14-3A**

इस प्रपत्र की सूचना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार दिनांक **27.03.14** तैयार करवाकर भिजवाई जानी है। इसमें विधि मान्य अभ्यार्थी की सूचना सम्मिलित की जावेगी।

5. **प्रपत्र LGE14-4**

इस प्रपत्र की सूचना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार दिनांक **28** व **29.03.14** को क्रमश सांय **7.00** एवं **4.00** बजे तक तैयार करवाकर भिजवाई जानी है।

6. **प्रपत्र LGE14-5**

इस प्रपत्र की सूचना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार दिनांक **29.03.2014** को **सांय 5.00** बजे तक तैयार करवाकर भिजवाई जानी है। इसमें उम्मीदवारों के नाम **प्रारूप 7-A** के क्रमानुसार अंकित किये जाने है।

7. **प्रपत्र LGE14-6**

इस प्रपत्र की सूचना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार दिनांक **17.04.14** को **मतदान दिवस के दिन प्रत्येक 2 घन्टे** के अन्तराल पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत की सूचना प्रेषित की जानी है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विधानसभा क्षेत्र का औसत मतदान प्रतिशत तैयार किया जाना है तत्पश्चात् लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन मतदान प्रतिशत भारात्मक औसत के आधार पर तैयार किया जाना है ताकि यथा संभव सही स्थिति की सूचना अनुमानित की जा सके यह सूचना दूरभाष/फैक्स ई. मेल माध्यम से आवश्यक रूप से समय–समय पर भिजवाई जानी है।

8. **प्रपत्र LGE14-7**

इस प्रपत्र की सूचना मतगणना स्थल पर मतदान दलो से पीठासीन अधिकारी की डायरी/सांख्यिकी प्रपत्र **(PS.05)** के आधार पर सांख्यिकी प्रकोष्ठ के कार्मिकों द्वारा तैयार की जानी है। इसके **कॉलम 11** एवं **12** में विधानसभा के अन्तर्गत अधिकतम व न्यूनतम मतदान का प्रतिशत देते हुए मतदान केन्द्र का नाम अंकित जाना है। **कॉलम संख्या 14** में विधानसभा क्षेत्र में **90%** से अधिक मतदान केन्द्रों की संख्या लिखते हुए सूची मय मतदान प्रतिशत का विवरण पृथक से संलग्न करते हुए भिजवाई जानी है।

9. **प्रपत्र LGE14-7A**

इस प्रपत्र की सूचना मतगणना स्थल पर मतदान दलों से पीठासीन अधिकारी की डायरी / **सांख्यिकी प्रपत्र (PS-05)** के आधार पर सांख्यिकी प्रकोष्ठ के कर्मियों द्वारा तैयार की जानी है। यदि चुनाव आयोग द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनकी पहचान अन्य दस्तावेजों के आधार पर की गई है की संख्या **कॉलम 8** में अंकित करें। यह सूचना दिनांक **18 अप्रेल, 2014 को E-Mail** के द्वारा प्रेषित की जानी है।

10. **प्रपत्र LGE14-8 & 8A**

विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रवार मतदान की संकलित सूचना को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रवार विभक्त कर विधानसभा क्षेत्रवार **शहरी क्षेत्र की प्रपत्र 8 में एवं ग्रामीण क्षेत्र की 8A में तैयार की जानी है।** यह सूचना **दिनांक 18 अप्रेल, 2014** को **E-Mail** के द्वारा प्रेषित की जानी है।

11. प्रपत्र LGE14-9

इस प्रपत्र की सूचना यदि लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी मतदान केन्द्र पर पुर्नमतदान होता है तो पुर्नमतदान के दिन मतदान केन्द्र अनुसार **सायः 7.00 बजे तक** अथवा मतदान दल जिला मुख्यालय पर आने पर प्रेषित की जावें।

12. प्रपत्र LGE14-10

इस प्रपत्र की सूचना में दिनांक **16** मई, **2014** को मतगणना पूर्ण होने पर **EVM एवं डाक मतपत्रों का विवरण अंकित किया जावे। कॉलम संख्या 3** में **EVM not Retrieved & Vote not Received** मतों की संख्या अंकित की जावे। **कॉलम संख्या 8** में डाक मतपत्रों के निरस्त की संख्या अंकित की जावे। **कॉलम संख्या** से **6** व **11** की संख्या जोडने के उपरान्त की संख्या कॉलम **12** में अंकित की जायेगी।

13. प्रपत्र LGE14-11

इस प्रपत्र की सूचना दिनांक **16** मई, **2014** को मतगणना परिणाम घोषित होने के साथ ही प्रेषित की जानी है राजनैतिक दलों के अनुसार प्राप्त मतों का विवरण अंकित किया जाना है। राज्य स्तरीय पार्टी / रजिस्टर्ड दलों की कुल मत **कॉलम संख्या 9** में इकजाई कर उल्लेखित किया जाना है जबकि **कॉलम संख्या 10** में सभी निर्दलीय अभ्यर्थियों के मत सम्मिलित कर दर्शाये जाने हैं। **कॉलम 11 में NOTA** के मत अंकित किये जावें। इस प्रकार कॉलम संख्या **3** से **11** तक योग कॉलम संख्या **12** में अंकित किया जाना है।

14. प्रपत्र LGE14-12

इस प्रपत्र की सूचना दिनांक **16** मई, **2014** को मतगणना परिणाम घोषित होने के साथ ही प्रेषित की जानी है परिणाम लाटरी के माध्यम घोषित किया जाता है तो **कॉलम संख्या 8** में विवरण अंकित किया जावे।